बृजलाल बनाम सरकार

प्रकरण का प्रकार 75 एलआरएक्ट आरटीएक्ट क्रमांक 2018/00257 (66/2018)

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
23.11.2019	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 13.02.2018 प्रकरण सं. 31/2017 बअनवानी सरकार बनाम बृजलाल के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार पीलीबंगा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 36 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसमे खाता ग्राम बड़ोपल की जमाबन्दी सम्वत 2062 से 65 में खाता संख्या 108 पर काल्पनिक रूप से दर्ज होने का कथन करते हुए वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 214 पर दर्ज होने का कथन करते हुए उक्त खाता बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज किया गया होने एवं उक्त खाता पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के दर्ज करने से पटवारी हल्का के विरूद्ध एक अभियोग संख्या 184/23.04.2016 को एफआईआर पुलिस थाना पीलीबंगा में दर्ज करवाई गई होने का कथन किया। अन्त में इस्तदुआ चाही की उक्त वर्णित भूमि ग्राम बड़ोपल के खसरा नं. 2681/1114 रकबा 6.325 है0 शून्य होने के कारण निरस्तनीय है जिसे जमाबन्दी से विलोपित किया जावे। उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रश्नगत रकबा को शून्य घोषित किया है। रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 निम्न प्रकार है:– **136. गलतियों का शुद्धिकरण:–** **भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के के दौरान नोटिस करे।'' इस धारा में भूमि अभिलेख अधिकारी द्वारा रिकार्ड में शुद्धियों का अंकन किया जाता है। धारा 75 एलआरएक्ट में किस आदेश की अपील किसे की जा सकती है का विवरण दिया गया है।** धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत की जा सकती है।	

धारा 75 एलआरएक्ट (ख) इस प्रकार है कि:–

75. प्रथम अपीलें :–

(ख) "सहायक जिलाधीश या उपखण्ड अधिकारी या जिलाधीश द्वारा भू प्रबन्ध से असम्बन्धित मामलों में दी गई मूल आज्ञा (राजस्व अपील अधिकारी) को उन मामलों में जो भू प्रबन्ध से सम्बन्धित नहीं है।

इस धारा से स्पष्ट है कि उन मामलों की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को हो सकती है जो भू प्रबन्ध से सम्बन्धित नहीं है। प्रश्नगत आदेश भू प्रबन्ध से सम्बन्धित है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट में पारित आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में लाई नहीं करती है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 12:44:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: